नम्बर व अहकाम जो की तारीख

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

ताराचन्द आदि बनाम तहसीलदार (राजस्व) आदि

किस्म मुकदमाः–अपील प्र0सं0:– 124/2023 जीसीएमएस प्र0स0 2023/124

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

07.01.2025

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अपीलांट श्री श्याम सुन्दर चाण्ड़क ने दौराने बहस अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट सं0 1 ताराचन्द के नाम संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि चक 1 एसआरपीएम तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के संयुक्त खाता संख्या 07/2021 के पत्थर न. 188/38 (74) के किला न. 3–4 की 0.506 है0, 6 से 8 की 0.759 है0, 15 की 0.253 है0 कुल 1.518 है0 अनकमाण्ड भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं अपीलांट संख्या 2 कविता पत्नी ताराचन्द के नाम से सयुंक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि इसी चक 1 एसआरपीएम तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के संयुक्त खाता संख्या 6/17 के पत्थर न. 188/38 (74) के किला न. 25 की 0.253 है0 व पत्थर न. 188/4 (75) के किला न. 20, 21 की 0.506 है0 कुल 0.759 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि में से 3/8 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2023/2023 दिनांक 22.12.2023 पारित करते वक्त चक 1 एसआरपीएम तहहसील सूरतगढ के पत्थर न. 188/38 में गैर कटान रास्ता को बिना अपीलांटस को सुने, अपीलांटस की भूमि में से चक 1 एसआरपीएम में से आगे के खसरो में जाने वाले रास्ते को काश्तकार मुखराम सहारण द्वारा बन्द कर दिया गया है जिससे काश्तकारान को आवागमन में परेशानी हो रही है, का कारण दर्शाया गया है। जबकि चक 1 एसआरपीएम के पत्थर न. 188/38 में उपरोक्त काश्तकार के नाम कोई भूमि नही होकर अपीलांटस के नाम खातेदारी भूमि है। जिन्हे पक्षकार ही नही बनाया गया एवं बिना खातेदार कृषक को सुने इरादतन अपीलांटस की भूमि में से गैर कटानी रास्ता काटने की कोशिश की जा रही है जो कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा होने के कारण निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश राजस्व रिकार्ड के विपरीत है जो अपीलांट के हितो पर निष्प्रभावी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील निर्णय सही एवं विधिसम्मत तारीके से पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 3,4,6 ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त भूमि सयुंक्त खाते है की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हमें भी नहीं सुना है। जैर अपील आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया जो राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण अपील अपीलांट की जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहतना से अवलोकन किया। जैर अपील आदेश मुखराम सहारण के विरूद्व पारित किया गया है। जैर अपील भूमि के खाते में मुखराम सहारण का नाम अंकित नहीं है। इस प्रकार जैर अपील आदेश राजस्व रिकार्ड के विरूद्व पारित होने के कारण निष्प्रभावी होने से खारिज करना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2023/2023 दिनांक 22.12.2023 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

7-1-25

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner